पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही–विवरण

कार्यपरिषद् की 70 वीं बैठक
दिनांक 29/03/2018, दिन गुरूवार
समय : 04:00 बजे अपरान्ह
स्थान – कुलपति सचिवालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 70 वीं बैठक का कार्यवाही–विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की 70 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 29/03/2018, दिन गुरूवार, समय 04:00 बजे अपरान्ह विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट** – सदस्य
   विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
   छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
   नया रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

3. **श्री एस.के. चक्रवर्ती** – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

4. **श्री ओ. पी. सिंघानिया** – सदस्य
   62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
   अग्रसेन मार्ग, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
   (माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

5. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह** – सदस्य
   सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा विभाग)
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   (कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

6. **डॉ. राजकुमार सचदेव** – सचिव
   कुलसचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. **श्री राजशरण भगत** – सदस्य
   उपाध्यक्ष
   सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर

RKSatde
31.3.18

31.3.18

2. **श्री भोजराज नाग** — सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

3. **सचिव** — सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)

4. **डॉ. एस. के. जाधव** — सदस्य
प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

5. **प्रो. देबाल कुमार सिंहरॉय** — सदस्य
आचार्य
समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)

6. **श्री एस. एल. नायक** — सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)

7. **डॉ. एस. आर. पटेल** — सदस्य
पूर्व अधिष्ठाता
ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
बिलासपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

कार्य परिषद् की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई तथा आधे घंटे के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई। कार्य परिषद् के बैठक प्रारंभ होने पर माननीय अध्यक्ष के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्रं 1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 69 वीं बैठक के कार्यवाही–विवरण को सम्पुष्टि प्रदान करना तथा पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

Rebate 31.3.18 BG 31.3.18

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा 69 वीं बैठक के कार्यवाही–विवरण का सम्पुष्टि किया गया तथा पालन–प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव कं 2 अकादमिक कैलेण्डर 2018–19 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा अकादमिक कैलेण्डर 2018–19 का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 3 दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले डॉ. साधनाला रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक की सेवायें नियमानुसार स्थाई करने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा परीवीक्षा अवधि दिनांक 15/03/2018 को समाप्ति के पश्चात् स्थाईकरण के प्रस्ताव को मान्य किया गया।

प्रस्ताव कं 4 विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र जगदलपुर अंतर्गत ग्राम सावेर में निर्मित अध्ययन केन्द्र भवन को सामुदायिक भवन के रूप में उपयोग हेतु हस्तांतरण संबंधी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पखांजूर से प्राप्त ज्ञापन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये अनापत्ति प्रगट की गई तथा निर्णय लिया गया कि राज्य शासन से अनुमति पश्चात् हस्तांतरण करने की कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव कं 5 हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर के पुस्तकें तैयार करने संबंधी दरों को अंगीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् द्वारा अंगीकृत किया गया।

प्रस्ताव कं 6 शोध छात्रवृत्ति नियम, 2018 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 7 विश्वविद्यालयीन प्रथम/द्वितीय श्रेणी के पदों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु सेवा भर्ती नियम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि परिनियम कमांक 11 मे वर्ग–बी में सम्मिलित पदों को छ.ग. शासन में प्रचलित पदों के अनुरूप करने तथा नये सेटअप में अधिकारियों के मांगे गये पदों को सम्मिलित करते हुये परिनियम में संशोधन को प्रस्तावित किया जाये इसके पश्चात् भर्ती/पदोन्नति नियम प्रस्तावित किया जाये।

प्रस्ताव कं 8 शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में अंकित सभी प्रविष्टियों को संसूचित करने संबंधी छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के पत्र कं. एफ 9–2/2008/1–6 दिनांक 16/12/2010 को अंगीकृत किये जाने पर विचार।

31.3.18 31.3.18

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा अंगीकृत किया गया।

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से प्रस्तुत प्रस्ताव –

प्रस्ताव क्रं 9 शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित बी.एड. पाठ्यक्रम के कार्यशाला को आयोजित हेतु प्रति केन्द्र रू. 2,400/– प्रतिवर्ष देने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्ताव मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्रं 10 स्नातक भाग एक, दो एवं तीन के आधार पाठ्यक्रम के पुस्तकों में कॉपीराइट उल्लंघन को संज्ञान में लेना तथा कार्यवाही पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् को सूचित किया गया कि कुछ स्थानों पर स्नातक भाग एक एवं तीन के आधार पाठ्यक्रम में कॉपीराइट उल्लंघन का प्रकरण पाया गया, कार्यपरिषद् ने इन पुस्तकों को वापस लेने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि लेखकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाये तथा प्राप्त उत्तर को अगली कार्यपरिषद् की बैठक में विचारार्थ रखा जाये।

अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

31.3.18
(राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव

(बंश गोपाल सिंह) 31.3.18
कुलपति/अध्यक्ष